विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

सं.सीप्ज़-सेज़/एसईसी/सीआइआर/71/पार्टVI/2010 दिनांक 16.6.2015

<u>परिपत्र सं. 06</u>

विषयः- डब्बावालों के जरिए टिफिन मंगवाए जाने हेतु अनुमति ।

इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं कि सीप्ज़ क्षेत्र के अंदर डब्बावालों को यूनिटों के कर्मचारियों के टिफिन लाने की अनुमति नहीं दी जाती है । इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि यूनिटों के कर्मचारियों को क्षेत्र के अंदर स्क्रीनिंग की सुरक्षा क्रियाविधि के अधीन सीधे अथवा डब्बावालों के जरिए टिफिन लाने / मंगवाने की अनुमति दी जाती है ।

आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि डब्बावाले परिपत्र सं.4 में यथानिर्धारित क्रियाविधि (प्रोसिजर) के अनुसार वेंडर के लिए निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करके किसी भी यूनिट में टिफिन पहुँचाने के लिए वेंडर गेट पास प्राप्त करने के हकदार हैं । तथापि उन्हें स्क्रीनिंग की सुरक्षा क्रियाविधि का अनुपालन करना होगा ।

अभ्यावेदन में यह कहा गया है कि प्रत्येक टिफिन की स्क्रीनिंग में समय लगता है जिसके कारण टिफिन पहुँचाने में देर हो जाती है । इस संबंध में यह निदेश दिया जाता है कि रजिस्टर्ड डब्बावालों द्वारा लाए गए टिफिनों की 30 जून,2015 तक स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी । इसके पश्चात फास्ट ट्रेक स्क्रीनिंग प्रारंभ की जाएगी जिसके तहत टिफिनों को ट्रे में रखा जाएगा तथा इकट्ठे इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी । इस बीच डब्बावालों को निदेश दिया जाता है कि वे तत्काल वेंडर पास प्राप्त कर लें ।

(पी.एस.रामन)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़

अनुलग्नक - यथोपरि

1) सीप्ज़ - सेज़ में स्थित सभी यूनिट
2) चेयरमैन , सीमा, सीप्ज़ - सेज़
3) प्रेसिडेंट , एसजी तथा जेएमए , सीप्ज़ - सेज़
4) रिजनल डायरेक्टर, 100 % ईओयू तथा सेज के लिए ईपीसी , सीप्ज़ -सेज़
5) सभी एटीएम , सीप्ज़ -सेज़
6) कस्टोडियन, एमएमटीसी, सीप्ज़-सेज़

7) डिप्टी इंजीनियर, एमआइडीसी
8) मेसर्स थॉमस कुक ट्रॅवेल्स, सीप्ज़-सेज़
9) प्रबंधक, इंडियन कॉफी हाउस, सीप्ज़-सेज़
10)प्रबंधक, केयडी कॅटरर्स, सीप्ज़-सेज़
11)प्रबंधक, केयडी कॅनटीन, सीप्ज़-सेज़
12)प्रबंधक, सनसिटी प्रिमियर, सीप्ज़++
13)डिवीजनल इंजीनियर, एमटीएनएल, सीप्ज़-सेज़
14)मेसर्स स्त्री मुक्ति संगठन
15)मेसर्स बीवीजी इंडिया लि.
16)मेसर्स जी4एस सिक्योर सोल्युशन (इं) प्रा.लि.
17)आइटी विभाग, सीप्ज़-सेज़
18)सूचना पट्ट